Received on 9/1/2023

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

जम्मू क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION

JAMMU REGIONAL OFFICE

भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

Non Deposit Taking Company

पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

संख्या No.	11.00002

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई ए के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **अमर अम्बा फाइनैंस हायर परचेज़ प्राइवेट लिमिटेड** को

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने / ~~करते रहने~~ के लिए दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

AMAR AMBA FINANCE HIRE PURCHASE PRIVATE LIMITED

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / ~~carry on~~ the business of non-banking financial institution subject to the conditions given on the reverse.

वर्ष उन्नीस सौ सत्तानवे के नवम्बर महीने के दसवें दिन आज जम्मू में

मेरे हस्ताक्षर के अधीन जारी किया गया।

Given under my hand

at Jammu this tenth day of the month of November in the year one thousand nine hundred ninety seven.

सुरेन्द्र कुमार

(सुरेन्द्र कुमार)

(महाप्रबंधक / ~~उप महाप्रबंधक~~)

General Manager / ~~Deputy General Manager~~

RESERVE BANK OF INDIA

00002

शर्तें / Conditions

1 पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आपकी कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में तथा अन्य कार्यालयों में, यदि कोई हों, प्रदर्शित की जायेगी।	1. The Certificate of Registration or a certified copy thereof shall be kept displayed at the Registered Office and other offices, branches, if any, of your company.
2. आपकी कम्पनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III बी के अन्तर्गत निर्धारित समस्त शर्तों तथा मानदण्डों का पालन किये जाने की शर्त के अधीन ज़ारी किया जा रहा है।	2.The Certificate of Registration is issued to your company subject to your continued adherence to all the conditions and parameters stipulated under Chapter III B of the Reserve Bank of India Act, 1934.
3. आपकी कम्पनी को बैंक द्वारा जारी तथा उस पर यथालागू निदेशों, मार्गदर्शी सिद्धांतों / अनुदेशों आदि की अपेक्षाओं का पालन करना होगा।	3.Your company shall be required to comply with all the requirements of the Directions, guidelines / instructions, etc. issued by the Bank and as applicable to it.
4. यदि आपकी कम्पनी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विज्ञापनों आदि में यह दर्शाना चाहती है कि उसके पास भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र है तो इस तरह के विज्ञापन में निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिये:- "कम्पनी के पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आइ ए के अन्तर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक ________का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र है । तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक कम्पनी की वित्तीय सुदृढ़ता की वर्तमान स्थिति अथवा कम्पनी द्वारा दिये गये किसी विवरण अथवा प्रतिवेदन अथवा व्यक्त की गयी किसी राय की सत्यता के लिए और कम्पनी द्वारा जमाराशियों की अदायगी / देयताओं के निर्वाह के लिए कोई जिम्मेदारी अथवा गारंटी स्वीकार नहीं करता ।"	4.If your company desires to indicate directly or indirectly in any advertisement, etc. that the company is having a Certificate of Registration issued by the Reserve Bank of India, such advertisement should invariably contain a statement as under :- "The company is having a valid Certificate of Registration dated ________________issued by the Reserve Bank of India under section 45IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. However, the Reserve Bank of India does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the company and for repayment of deposits / discharge of liabilities by the company."
5.* आपकी कम्पनी जनता से फिलहाल कोई भी जमाराशि स्वीकार नहीं करेगी । दो वर्ष की अवधि तक परिचालन में रहने के बाद यदि कम्पनी जनता से जमाराशियां जुटाना चाहे तो वह दो वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र और किसी मान्यता प्राप्त साख निर्धारण एजेंसी से मीयादी जमाराशियों के लिए साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) के साथ बैंक से अनुरोध कर सकती है।	5.* Your company must not accept any public deposit for the time being. After the company has been in operation for a period of two years, if it intends to raise public deposits, it may approach the Bank with the audited Balance Sheets for two years and a credit rating for fixed deposits from one of the recognised rating agencies. Your company will accept public deposit only after obtaining specific approval from us.
6. गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के रूप में कारोबार प्रारम्भ करने की तारीख से बैंक को अवगत कराया जाये।	6. The date when your company has commenced business as a non-banking financial institution may be advised to the Bank.
** 9 जनवरी 1997 से निगमित नयी कम्पनियों पर लागू।*	* Applicable to new companies incorporated on or after January 9, 1997.